पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

कलावती देवी

बनाम

मोहन प्रसाद गुप्ता एवं अन्य

2018 का विविध अपील सं. 1049

25 सितंबर, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री और

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, औरंगाबाद द्वारा वैवाहिक वाद संख्या 09/2011 में पारित निर्णय और डिक्री सही है या नहीं?

क्या विद्वान पारिवारिक न्यायालय पक्षकारों की दलीलों के अभाव में प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में भरण-पोषण या भरण-पोषण के हकदारी के लिए आदेश पारित कर सकता है?

हेडनोट्स

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984—धारा 7—हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956—धारा 20—अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 के घर में रह रहा है, जहाँ वह अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा है—अपीलकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 उसके साथ विवाह करने से पहले विवाहित था और प्रतिवादी संख्या 1 को अपनी पहली पत्नी से छह पुत्र और तीन पुत्रियाँ हैं।

निर्णय: किसी भी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति की घोषणा के लिए वाद लाया जा सकता है, प्रतिवादी संख्या 1 को यह घोषणा करने के लिए वाद लाने का अधिकार था कि अपीलकर्ता उसकी पत्नी नहीं थी—अनेक निर्णयों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि नाजायज बच्चे भी भरण-पोषण पाने के हकदार हैं और विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 से भरण-पोषण पाने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 के अधिकार की घोषणा करते समय कोई त्रुटि नहीं की थी—विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने दलीलों से आगे बढ़कर आदेश पारित नहीं किया—अपील खारिज।

(पैराग्राफ 14, 16, 18, 22)

न्याय दृष्टान्त

सविताबेन सोमाभाती भाटिया बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (2005) 3 एससीसी 636—**पर भरोसा किया गया।**

बच्छज नाहर बनाम नीलिमा मंडल, एआईआर 2009 एससी 1103—**संदर्भित किया गया।**

बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे और अन्य, (2014) 1 एससीसी 188—विशिष्ट किया गया।

अधिनियमों की सूची

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984; हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956

मुख्य शब्दों की सूची

दूसरी पत्नी, पहली शादी, दूसरा विवाह, नाजायज बच्चे भी पिता से भरण-पोषण पाने के हकदार हैं।

प्रकरण से उत्पन्न

वैवाहिक वाद संख्या 09/2011, सीआईएस-मैट 816/2013 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 04.10.2018 के निर्णय और दिनांक 05.11.2018 की डिक्री से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री संजीत कुमार, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से: श्री राकेश सिंह, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 की विविध अपील सं. 1049

==========

कलावती देवी, पति मोहन प्रसाद गुप्ता, पुत्री लक्ष्मण साओ @लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता, निवासी, गाँव-बरुण बाज़ार, थाना-बरुण, डाकघर-बरुण, जिला-औरंगाबाद (बिहार)।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मोहन प्रसाद गुप्ता, पिता शिव प्रसाद गुप्ता, निवासी, गाँव-बरुण बाज़ार, थाना-बरुण, डाकघर-बरुण, जिला-औरंगाबाद (बिहार)।
2. राज कुमारी देवी, पुत्री मोहन प्रसाद गुप्ता, निवासी, गाँव बरुण बाज़ार, थाना-बरुण, डाकघर-बरुण, जिला-औरंगाबाद (बिहार)।

... ... प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री संजीत कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री राकेश सिंह, अधिवक्ता

==========

गणपूर्तिः माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सी. ए. वी. निर्णय

(प्रतिःमाननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा)

दिनांकः 25-09-2023

तत्काल अपील में, 2011 के वैवाहिक वाद सं. 09, सीआईएस-मैट 816/2013 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरंगाबाद द्वारा पारित 04.10.2018 दिनांकित निर्णय और 05.11.2018 दिनांकित डिक्री को चुनौती दी गई है।

2. अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं. 1 का मामला, जैसा कि अभिलेखों से प्रतीत होता है, यह है कि प्रत्यर्थी सं.1/याचिकाकर्ता ने विद्वान परिवार न्यायालय के समक्ष राहत की मांग करते हुए एक मामला दायर किया कि अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 कलावती देवी उनकी पत्नी नहीं थीं और प्रत्यर्थी सं.2/ विरोधी पक्ष सं.2, राज कुमारी देवी प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता मोहन प्रसाद गुप्ता की बेटी नहीं थीं, ने विद्वान परिवार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनकी शादी वर्ष 1978 में एक प्रभावती देवी के साथ हुई थी और विवाह से, उनके छह बेटे और तीन बेटियां हैं। परिवार न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने से पाँच साल पहले, अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 कलावती देवी, अपने पति के साथ, प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता के घर में किरायेदार के रूप में रहने लगी थीं। उसके दो साल बाद, अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 का पति उसे छोड़ दिया और वह कभी वापस नहीं आया। चूंकि अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 के पति वापस नहीं आए और संदिग्ध चरित्र के लोग अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 से मिलने लगे, उत्तरदाता सं.1/याचिकाकर्ता ने अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 से घर खाली करने के लिए कहा। प्रत्यर्थी/याचिकाकर्ता की मांग से नाराज, अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 और उसकी बेटी ने प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता को धमकी दी कि वे उसे गलत तरीके से फंसायेंगे और बाद में, अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 बरुन थाना कांड सं. 235/2009 दर्ज किया जिसमें प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता को जेल भेज दिया गया। अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 ने भी प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता के बेटे के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया। उनके बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, उत्तरदाता सं.1/याचिकाकर्ता ने अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 के साथ समझौते किया और समझौते के आधार पर जमानत पाया। इसके बाद, अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 और उनकी बेटी ने परिवार न्यायालय में भरण-पोषण का मामला सं.10/2010 दायर किया

जिसमें विद्वान परिवार न्यायालय ने 29.10.201 के आदेश के अनुसार, भरण-पोषण के रूप में 2,000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करने का आदेश दिया। अतः, प्रत्यर्थी सं.1/याचिकाकर्ता को समझ में आया कि अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 और उसकी बेटी प्रतिवादी संख्या 1 के भविष्य को बर्बाद करना चाहती थी क्योंकि अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 उत्तरदाता सं.1/याचिकाकर्ता की पत्नी नहीं थी और वे दोनों केवल किरायेदार हैं। प्रत्यर्थी सं.1/याचिकाकर्ता का विवाह को कभी भी संस्कारित नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्यों पर, प्रत्यर्थी सं.1/याचिकाकर्ता ने यह घोषणा करने का अनुरोध किया कि अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 उसकी पत्नी नहीं थी और प्रत्यर्थी सं.2/विरोधी पक्ष सं.2 उसकी बेटी नहीं थी।

3. अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 ने प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता के मामले यह कहते हुए विरोध किया कि उसकी शादी मोहन प्रसाद गुप्ता, प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता के साथ हुई थी, और विवाह से एक बेटी का जन्म हुआ, जो भरण-पोषण का मामला दर्ज करने के समय इंटरमीडिएट की छात्रा थी। उनके लिखित बयान में, अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 ने आगे प्रस्तुत किया है कि कक्षा-X के प्रमाण पत्र में, अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 की बेटी के पिता का नाम मोहन प्रसाद गुप्ता के रूप में उल्लेख किया गया था। अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 ने आगे प्रस्तुत किया है कि उसने प्रत्यर्थी सं.1/याचिकाकर्ता के खिलाफ क्रूरता के लिए 2009 का बरुण थाना कांड सं.312 दायर किया जिसमें उसे जेल भेजा गया और मामले से समझौता किया गया था।

4. पक्षों की दलीलों के आधार पर, विद्वान परिवार न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दों को तैयार किया:-

(i) क्या वादी का मुकदमा विचारणीय था?

(ii) क्या वादी को वर्तमान मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण मिला है?

(iii) क्या प्रतिवादी सं.1 कलावती देवी वादी की पत्नी नहीं थीं?

(iv) क्या प्रतिवादी सं.2 राज कुमारी देवी वादी की बेटी नहीं थीं?

(v) क्या वादी कोई अन्य राहत/राहतें प्राप्त करने का हकदार था?

5. इसके बाद, दोनों पक्षों ने अपने साक्ष्य दर्ज कराए और विद्वान परिवार न्यायालय तथ्यों और परिस्थितियों और पक्षों के साक्ष्य पर विचार करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता यह साबित करने में सक्षम रहे है कि अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1, कलावती देवी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थीं, लेकिन प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता इस तथ्य को साबित करने में विफल रही कि राज कुमारी देवी, प्रतिवादी सं.2/विरोधी पक्ष सं.2 उसकी बेटी नहीं थी। इस प्रकार, विद्वान परिवार न्यायालय ने प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता के मुकदमे को आंशिक रूप से यह घोषणा करते हुए खारिज कर दिया कि कलावती देवी प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थी और आगे घोषित किया कि प्रतिवादी सं.2 राज कुमारी देवी उनकी बेटी थीं और प्रतिवादी सं.2 राज कुमारी देवी प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता से अपना भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार थीं।

6. विद्वत परिवार न्यायालय के उपरोक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित, अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 यहाँ कलावती देवी ने वर्तमान अपील में इस न्यायालय के समक्ष उसी पर हमला किया है।

7. विविध अपील में, विद्वान परिवार न्यायालय के निर्णय और डिक्री को चुनौती देने के लिए कई आधार, अन्य बातों के साथ प्रस्तुत करते हुए, लिए गए हैं कि अपील के तहत निर्णय तथ्यों के साथ-साथ कानून में भी गलत है और इसे दरकिनार किया जा सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान परिवार न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं

किया कि प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता ने विविध मामला सं.10/2010 से अपनी त्वचा/जान को गलत तरीके से बचाने के लिए केवल अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 के दावे को विफल करने के क्रम में वैवाहिक मुकदमा सं.09/2011 दायर किया है। विद्वान परिवार न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि विविध मामला सं.10/2010 का निर्णय अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 के पक्ष में किए जाने के बाद अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी। विद्वान परिवार न्यायालय ने इस तथ्य को भी ध्यान में नहीं रखा कि पक्षों के बीच विवाद केवल वर्ष 2009 में उत्पन्न हुआ जब अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 और उसकी बेटी को प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता द्वारा बेरहमी से पीटा गया जिसके लिए 2009 का बरुण थाना कांड सं. 2009 का 312 प्रत्यर्थी सं.1/याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज किया गया था। विद्वान परिवार न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं.1/याचिकाकर्ता के कथनों को पवित्र माना और केवल उसके बयान के आधार पर विवादित आदेश पारित किया। इस प्रकार, विविध अपील में यह प्रस्तुत किया गया है कि विवादित आदेश कानून के अनुसार नहीं है और इसे तत्काल अपील में दरकिनार किया जा सकता है।

8. हालाँकि, तर्क के दौरान, अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का तर्क केवल इस हद तक सीमित था कि विद्वान परिवार न्यायालय निर्णय देते समय अभिवचनों से परे चला गया और भले ही उसने अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 की बेटी को प्रत्यर्थी सं.1/याचिकाकर्ता से भरण-पोषण के लिए हकदार नहीं घोषित किया हो, फिर भी यह अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1/याचिकाकर्ता के अपनी दूसरी पत्नी के रूप में प्रत्यर्थी सं.1/याचिकाकर्ता से भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए दावे पर विचार करने में विफल रहा। इसलिए, पक्षों की सहमति से, मामले को सीमित बिंदु पर प्रवेश के स्तर पर ही निपटाने के लिए लिया गया है।

9. अतः, वर्तमान अपील के निर्धारण के लिए निम्नलिखित बिंदु तैयार किया गया हैः

(i) क्या अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता से भरण-पोषण प्राप्त करने का हकदार है?

(ii) क्या विद्वत परिवार न्यायालय पक्षकारों की दलीलों के अभाव में प्रतिवादी सं.2/विरोधी पक्ष सं.2 के पक्ष में भरण-पोषण या भरण-पोषण के अधिकार के लिए आदेश पारित कर सकता था?

10. अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 के विद्वान वकील ने दलील दी कि इस स्तर पर अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 विद्वत परिवार न्यायालय के आदेश पर इस प्रभाव से विरोध नहीं करना चाहता है कि वह प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है, लेकिन विद्वान परिवार न्यायालय ने एक त्रुटि की जब उसने प्रतिवादी सं.2/विरोधी पक्ष सं.2 के लिए भरण-पोषण का अधिकार घोषित कर दिया, हालांकि अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 को इससे इनकार कर कर दिया गया। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान परिवार न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से परे चला गया क्योंकि भरण-पोषण का मुद्दा उसके सामने नहीं था क्योंकि अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 और उसकी बेटी को भरण-पोषण के अनुदान के लिए विविध मामला सं. 2010 का 10 में सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा पारित 29.06.2016 दिनांकित एक वैध आदेश था। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि यह अभिनिर्धारित नहीं करके कि अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 भरण-पोषण के लिए हकदार है, अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 का भरण-पोषण के लिए दावा धुंधला हो गया है क्योंकि अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं. 1 और उसकी बेटी को भरण-पोषण की अनुमति देते हुए प्रतिवादी संख्या 1/याचिकाकर्ता ने विविध मामला सं. 2010 का 10 में पारित 29.06.2016 दिनांकित आदेश के खिलाफ 2016 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 845 को प्राथमिकता दी थी। यह किसी भी अदालत के दिमाग को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 और प्रत्यर्थी

सं.1/याचिकाकर्ता के बीच संबंध रहा है और इस रिश्ते से एक बेटी का जन्म हुआ है, जिसका नाम राज कुमारी देवी (प्रतिवादी संख्या 2) है। अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 को उत्तरदाता सं. 1 की दूसरी पत्नी मानी जा सकती है और इस कारण से, वह भरण-पोषण की हकदार बन जाती है। विद्वान वकील ने **बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे और एक अन्य, (2014) 1 एस. सी. सी. 188 (अनुच्छेद 13 से 20),** में रिपोर्ट किए गए, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर इस बिंदु पर भरोसा किया कि दूसरी पत्नी भी भरण-पोषण की हकदार है। विद्वान वकील ने आगे **बछाज नाहर बनाम नीलिमा मंडल, ए. आई. आर 2009 एस. सी. 1103 (अनुच्छेद 9 और 12),** में रिपोर्ट किया गया, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर इस बिंदु पर भरोसा किया कि विद्वान परिवार न्यायालय अभिवचनों से आगे नहीं बढ़ सकता था और निर्णय लिया कि केवल प्रतिवादी सं.2 भरण-पोषण के लिए हकदार था। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान परिवार न्यायालय के विवादित निर्णय और डिक्री को अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 को उत्तरदाता संख्या 2 की बेटी की तरह भरण-पोषण से इनकार करने की सीमा तक दरकिनार कर दिया जाए और अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 को अपनी बेटी-प्रतिवादी संख्या 2 की तरह भरण-पोषण का हकदार घोषित किया जाए।

11. अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 का तर्क प्रत्यर्थी सं.1/याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा इसका जोरदार विरोध किया गया था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान परिवार न्यायालय ने दोनों पक्षों के साक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की है और अपने निर्णय के लिए अपने कारणों को भी दर्ज किया है जिसमें कहा गया है कि अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1, प्रत्यर्थी सं.1/याचिकाकर्ता की पत्नी नहीं है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है सिवाय इसके कि उसे यह घोषित नहीं करना चाहिए था कि प्रतिवादी सं. 2/विरोधी पक्ष सं.2 प्रत्यर्थी सं.1 से किसी भी भरण-पोषण के लिए हकदार था। हालाँकि, विद्वान वकील ने

स्वीकार किया कि प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता ने इस संबंध में विद्वान परिवार न्यायालय के फैसले और डिक्री को चुनौती देने वाली कोई अपील नहीं की है।

12. चूँकि अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 के विद्वान वकील ने उत्तरदाता सं.1/याचिकाकर्ता से भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 की पात्रता के संबंध में अपनी प्रार्थना को केवल एक बिंदु तक सीमित कर दिया है और विद्वान परिवार न्यायालय अपने निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए अभिवचनों से परे यात्रा करते हुए, हम तत्काल अपील पर निर्णय लेने के लिए समग्र रूप से निर्धारण के लिए बिंदु ले रहे हैं।

13. न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है।

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा *7* निम्नानुसार हैः-

*"7. **क्षेत्राधिकार**—(1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, एक परिवार न्यायालय को-*

(क) स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृति के मुकदमों और कार्यवाहियों के संबंध में तत्समय लागू किसी भी कानून के तहत किसी भी जिला न्यायालय या किसी अधीनस्थ दीवानी न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी अधिकारिताएँ होंगी और उसका प्रयोग करेगा; और

(ख) ऐसी विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए, जिला न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उस क्षेत्र के लिए ऐसा अधीनस्थ दीवानी न्यायालय माना जाएगा जिसके लिए परिवार न्यायालय की अधिकारिता विस्तारित है।

स्पष्टीकरण—इस उप-धारा में निर्दिष्ट वाद और कार्यवाहियां निम्नलिखित प्रकृति के वाद और कार्यवाहियां हैं, अर्थात्:—

(क) XXX;

(ख) <u>विवाह की वैधता या किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति के बारे में घोषणा के लिए एक मुकदमा या कार्यवाही;</u>

(ग) XXX;

(घ) XXX;

(ङ) किसी व्यक्ति की वैधता के बारे में घोषणा के लिए एक मुकदमा या कार्यवाही;

(च) भरण-पोषण के लिए एक मुकदमा या कार्यवाही;

(छ) XXX।

(2) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, एक परिवार न्यायालय को भी यह अधिकार होगा और इसका प्रयोग करेगा-

(क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय IX (पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश से संबंधित) के तहत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता; और

(ख) ऐसी अन्य अधिकारिता जो किसी अन्य अधिनियम द्वारा उसे प्रदान की जाए।

(रेखांकित आपूर्ति)

इसके अलावा, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 इस प्रकार हैः-

> *"**20. बच्चों और वृद्ध माता-पिता का भरण-पोषण**—(1) इस धारा के प्रावधानों के अधीन, एक हिंदू अपने जीवनकाल के दौरान, अपने वैध या अवैध बच्चों और अपने वृद्ध या दुर्बल माता-पिता का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य है।*
>
> *(2) एक वैध या अवैध बच्चा अपने पिता या माँ से भरण-पोषण का दावा कर सकता है जब तक कि बच्चा नाबालिग है।*
>
> *(3) किसी व्यक्ति का अपने वृद्ध या अशक्त माता-पिता या अविवाहित बेटी का भरण-पोषण करने का दायित्व तब तक है जब तक कि माता-पिता या अविवाहित बेटी, जैसा भी मामला हो, अपनी कमाई या अन्य संपत्ति से खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ है।"*

14. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के प्रावधानों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति की घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है, इसलिए प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता को यह घोषणा करने के लिए मुकदमा लाने का अधिकार था कि अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 उसकी पत्नी नहीं थी।

15. हम अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 और प्रत्यर्थी सं.1/याचिकाकर्ता की वैवाहिक स्थिति के संबंध में पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अध्ययन कर चुके हैं। यह वि. प. सा. सं. 2, जो स्वयं अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 है, द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रत्यर्थी सं.1/याचिकाकर्ता उसके साथ शादी करने से पहले शादीशुदा था और प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता को अपनी पहली पत्नी से छह बेटे और तीन बेटियां हैं। यहां तक कि

प्रत्यर्थी सं.2/विरोधी पक्ष सं.2, जिसने वि. प. सा. 1 के रूप में गवाही दी, ने स्वीकार किया है कि प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता की दो पत्नियाँ हैं और पहली पत्नी से छह बेटे और तीन बेटियाँ हैं। हमें इस बिंदु पर आगे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा इस पर विस्तार से चर्चा की गई है जो इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1, प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थी, हालांकि यह अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 के गवाहों के साक्ष्य से प्रकट होता है कि अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 ने एक प्रभावती देवी के साथ प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता के विवाह के निर्वाह के दौरान उत्तरदाता सं.1/याचिकाकर्ता के साथ विवाह किया था।

16. पक्षों के साक्ष्य के अवलोकन से, कुछ दिलचस्प तथ्य सामने आते हैं। अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1, प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता के घर में रह रहा है जहाँ वह अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा है। यह या तो लिखित बयान में या अपने साक्ष्य में अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 का मामला नहीं है कि वह प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता की पहली शादी के बारे में नहीं जानती थी। यह तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने **बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे (ऊपर)** के मामले में माना है कि यदि दूसरा विवाह पहले विवाह की जानकारी के बिना किया गया था, तो उस स्थिति में, दूसरी पत्नी हकदार हो जाती है जैसा कि अनुच्छेद 13 से 20 से स्पष्ट है। इसलिए, उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अलग किया जाने योग्य है।

17. इसके अलावा, ***सावित्रीबेन सोमवती भाटिया बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (2005) 3 एस. सी. सी. 636*** में उल्लिखित, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि दूसरी पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं है। यह उक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद सं. 8, 15, 17, 18, 20 और 21 को उद्धृत करने के लिए प्रासंगिक होगा :

*"**8.** अपीलार्थी के विद्वान वकील की इस दलील में दम हो सकता है कि कानून उस महिला के खिलाफ कठोरता से काम करता है जिसे अनजाने में एक विवाहित पुरुष के साथ संबंध बन जाता है और संहिता की धारा 125 ऐसी महिला को संरक्षण नहीं देती है। यह कानून में अपर्याप्तता हो सकती है, जिसे केवल विधायिका ही पूर्ववत कर सकती है। लेकिन जैसा कि वर्तमान में कानूनी स्थिति है, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि संहिता की धारा 125 के अनुसार "पत्नी" अभिव्यक्ति केवल कानूनी रूप से विवाहित पत्नी को संदर्भित करती है।*

***15.** यमुनाबाई [(1988) 1 एस. सी. सी. 530:1988 एससीसी (सीआरआई) 182:ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 644] मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संहिता की धारा 125 में प्रयुक्त "पत्नी" अभिव्यक्ति की व्याख्या केवल कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में की जानी चाहिए। संहिता में "पत्नी" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि धारा 125 के स्पष्टीकरण में इसके समावेशी चरित्र का संकेत दिया गया है ताकि तलाकशुदा को शामिल किया जा सके। एक महिला तब तक तलाकशुदा नहीं हो सकती जब तक कि उस स्थिति से पहले कानून की नजर में कोई विवाह न हो। इसलिए अभिव्यक्ति को वह अर्थ दिया जाना चाहिए जिसमें इसे पक्षों के लिए लागू कानून में समझा जाता है। एक जीवित पति या पत्नी वाले पुरुष के साथ हिंदू संस्कारों के अनुसार एक महिला का विवाह कानून की नजर में पूरी तरह*

से अमान्य है और इसलिए वह संहिता की धारा 125 या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "विवाह अधिनियम") के लाभ का हकदार नहीं है। जीवित जीवनसाथी वाले व्यक्ति के साथ विवाह शून्य है और शून्यकरणीय नहीं है। हालाँकि, पक्षों पर लागू व्यक्तिगत कानून को विचार से पूरी तरह से बाहर करने का प्रयास अनुचित है। संहिता की धारा 125 पत्नी के हित में अधिनियमित की गई है और जो व्यक्ति उप-धारा (1) (ए) के तहत लाभ लेना चाहता है, उसे आवश्यक शर्त स्थापित करनी होगी, अर्थात्, यह कि वह संबंधित व्यक्ति की पत्नी है। इस मुद्दे का निर्णय केवल पक्षों पर लागू कानून के संदर्भ से ही किया जा सकता है। यह केवल वहाँ है जहाँ एक आवेदक व्यक्तिगत कानून के संदर्भ में ऐसी स्थिति या संबंध स्थापित करता है कि भरण-पोषण के लिए एक आवेदन बनाए रखा जा सकता है। एक बार जब संहिता की धारा 125 में प्रावधान के तहत अधिकार उसमें उल्लिखित आवश्यक शर्तों के प्रमाण से स्थापित हो जाता है, तो इसे व्यक्तिगत कानून के आगे के संदर्भ से पराजित नहीं किया जा सकता है। इस मुद्दे पर कि क्या धारा आकर्षित है या नहीं, इसका उत्तर पक्षों को नियंत्रित करने वाले उपयुक्त कानून के संदर्भ के अलावा नहीं दिया जा सकता है।

17. *यमुनाबाई [(1988) 1 एस. सी. सी. 530:1988 एससीसी (सीआरआई) 182:ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 644] मामले में वर्तमान मामले में दायर याचिका के समान है जिसमें कहा गया है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी की पिछली शादी*

के बारे में सूचित नहीं किया गया था जब उसने उससे शादी की थी, यह दलील निरर्थक पाई गई। विबंधन के सिद्धांत को संहिता की धारा 125 के प्रावधान को विफल करने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है।

18. *इस मोड़ पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि विधायिका ने प्रावधान के दायरे में एक अवैध बच्चे को शामिल करना आवश्यक समझा, लेकिन उसने ऐसा उस महिला के संबंध में नहीं किया जो वैध रूप से विवाहित नहीं है। हालाँकि यह वांछनीय हो सकता है, जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान वकील ने दुर्भाग्यपूर्ण महिला की दुर्दशा पर ध्यान देने के लिए तर्क दिया है, विधायी इरादे संहिता की धारा 125 में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने के कारण, "पत्नी" अभिव्यक्ति में कानूनी रूप से विवाहित महिला को शामिल करने के लिए कोई कृत्रिम परिभाषा पेश करके इसके दायरे को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है।*

20. *तत्काल मामले में अभिलेख पर साक्ष्य को निचली अदालतों द्वारा इस तथ्य के निष्कर्षों को दर्ज करके पर्याप्त पाया गया है कि प्रत्यर्थी का पूर्व विवाह स्थापित किया गया था।*

21. *मामले के उस दृष्टिकोण में, जहां तक पत्नी के भरण-पोषण के दावे का संबंध है, आवेदन खारिज हो जाता है।"*

18. हम अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 के विद्वान वकील के तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि विद्वान परिवार न्यायालय अभिवचनों से परे चला गया और ऐसे आदेश पारित किए जिनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। विद्वान परिवार न्यायालय ने जब घोषणा की कि प्रत्यर्थी सं.2/विरोधी पक्ष सं.2, प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता से भरण-पोषण प्राप्त करने का

हकदार है, तो वह केवल वही बता रहा था जो क़ानूनों में विशेष रूप से हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 में था। उक्त घोषणा केवल स्पष्ट बता रही है। बहुत सारे निर्णयों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अवैध बच्चे भी भरण-पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं और हम यह नहीं पाते हैं कि विद्वान परिवार न्यायालय ने कोई त्रुटि की है यदि वह प्रतिवादी सं.2/विरोधी पक्ष सं.2 उत्तरदाता सं.1/याचिकाकर्ता से भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए अधिकार घोषित करने के लिए गया था।

19. साथ ही, विद्वत परिवार न्यायालय के लिए अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 को उत्तरदाता सं.1/याचिकाकर्ता से भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए अधिकार घोषित करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि यह घोषित किया गया है कि वह कानूनी रूप से प्रतिवादी सं.1/याचिकाकर्ता की विवाहित पत्नी नही थी। यदि अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 प्रत्यर्थी सं.1/याचिकाकर्ता की पत्नी नहीं मानी जाती है, उसकी वैवाहिक स्थिति की घोषणा के लिए एक कार्यवाही में, विद्वान परिवार न्यायालय को किसी विशिष्ट अभिवचन के अभाव में भरण-पोषण के लिए उसकी पात्रता पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, हम इस बिंदु पर अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 के लिए विद्वान वकील द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

20. इसके अलावा, यह अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों से प्रकट होता है कि अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 प्रत्यर्थी सं.1/याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण में वर्तमान आदेश से प्रभावित होने के लिए विद्वत निचली अदालत द्वारा अनुमत भरण-पोषण के अपने दावे के बारे में आशंकित है, ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष सभी मुद्दों को उठाने के लिए हमेशा स्वतंत्र रहेंगे और हम इस मामले पर आगे विचार करने के लिए अनिच्छुक महसूस करते हैं।

21. परिणामस्वरूप, निर्धारण के लिए बिंदु अपीलार्थी/विरोधी पक्ष सं.1 के खिलाफ उपरोक्त चर्चाओं के संदर्भ में तदनुसार निर्णित किए जाते हैं।

22. ऊपर दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों और चर्चाओं के आलोक में, हम तत्काल अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे खारिज कर दिया जाता है।

23. हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

वी.के.पांड्ेय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।